परियोजना विवरण :— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.275 कि0मी०)।

भू—वैज्ञानिक की आख्या

(प्रस्तावित स्थल की भू—वैज्ञानिक द्वारा निर्गत अद्यतन निरीक्षण आख्या प्राप्त कर संलग्न पृष्ठ सं0 पर संलग्न है।)

कनिष्ठ अभियन्ता अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर मु० कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर मु० कीर्तिनगर। अधिशासी अभियन्ता अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर मु० कीर्तिनगर।




कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तरखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून

मून्यभीय निरीक्षण आख्या एस०जी०-1008 / सडक / पुल सम्रेखण / गढ़वाल / 2016

Geological Assessment of 5.275 long alignment corridor proposed for the construction of Chaundi to Bhadli, Ghatdhar, Thankot-Ghera-Village Simlasu bend motor road, Distt. Tehri Garhwal.

20.07.2016



the construction of Chaundi to Bhadli, Ghatdhar, Thankot-Ghera-Yillage Simlasu bend motor road, Distt. Tehri Garhwal.

- Lintroduction: The Temporary Division. Public Works Department. Srinagar (HQ kirtinagar) vide G.O. No. 549/III(2)/14-49 (\overline{\sqrt{MOSTO}})/2013 dated 29.10.2014 has been entrusted for 6.00 km (Actual length 5.275 km) long alignment corridor proposed for the construction of Chaundi to Bhadli, Ghatdhar, Thankot-Ghera-village Simlasu motor road, Dist. Tehri geological assessment of the proposed site on 21.06.2016. Shri. Sudarshan Singh Rawat. Astt. Engineer and Shri. Anush Pandhora, Jr. Engineer PWD, Kirtinagar.
- 2-Location: The proposed 5.275 km long alignment corridor originates from the end point of km 5 of Paurikhal-Simboli-Chaundi motor road and with the 02 no's of HP Bends in connects at km 12 of Paurikhal-Bhanson motor road, Distt. Tehri Garhwal.
- 3- Geological Assessment:-Geologically the alignment corridor proposed for this road lies in the Outer lands of Garhwal Lesser Himalaya bounded between the Main Central Thrust (MCT) in the North and the Main Boundary Thrust (MBT) in the South. The rock masses belonging to Chandpur Foramtion occupy this entire area which are represented by the thinly foliated, highly weathered, jointed, sheared and shattered phyllites which are exposed scantly on some small part of this alignment. Most of this alignment corridor is comprised of thick cover of over burden material which visually measures thickness of greater than 3 m inclined hill slopes oriented towards the NE and Eastward direction. The rock masses exposed long persistence and are opened and infilled by the soils and grounded rock mass.

Most of this alignment corridor passes across the slopes formed of and it contains clay minerals in abundance. According to the assessment made along the ranging between 300 K Pa to 400 K Pa.

By and large the alignment slopes are stable and presently free form any landslide/ mass wasting activities.

The surfaces of the slope facets do not manifest signature related to the ground subsidence. Nowhere sink/pot holes were seen at the time of surface mapping.

छाय ग्रिन सत्यापित सन्दाराक अभियंता अ०ख०. लो०नि०वि० देवप्रयाग



On the basis of the arove and the study carried at the site the following recommendations are being made for the construction of the proposed road, failing to these the

4- Recommendations:-

- 1. Form the road by half cut and half fill technique and compact the fill material by dynamic
- 2- Do not throw the excavated waste on the lower slopes.
- 5- In order to maintain the overall stability of the hill slopes and the road construct suitably designed retaining walls/ brest walls all along the road.
- -- Construct large hill side lined/concrete drain all along the road and make adequate cross drainage
- 5. Seal the entire surface of the road shoulder to shoulder to check the water infiltration into the
- (-) Make adequate arrangements to dispose the waste water on the safe/ stable ground.
- 7- All the construction activity must be carried out as per the Indian standards codes of practice and guidelines prescribed by the BIS.

5- Conclusion:- On the basis of the geological studies carried at the site and with the above recommendations, the proposed alignment was found geologically suitable for the construction of 5.275 km long alignment corridor proposed for the construction of Chaundi to Bhadli, Ghatdhar, Thankot-Ghera-village Simlasu Bend motor road, Distt. Tehri Garhwal.

(Vijay Dangwal)

Sr. Geologist

Office of the Engineer in Chief,

PWD Dehradun

देवप्रयाग

PROTO Copy Allested



परियोजना विवरण :— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.275 कि0मी0)।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों / सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू—वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/ संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर मु० कीर्तिनगर। सहीयक अभियन्ता अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर मु० कीर्तिनगर।

अधिशासी अभियन्ती अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर मु० कीर्तिनगर।

परियोजना विवरण :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.275 कि0मी0)।

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred. Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as:-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for analoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.

(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा हैं।

कनिष्ठं अभियन्ता अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर म० कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर मृ० कीर्तिनगर। अधिशासी अभियन्ता अ अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर मू० कीर्तिनगर।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत परियोजना विवरण :-चौण्ड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.275 कि0मी0)।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

मानक शर्ते

वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु 2

कदापि नहीं किया जायेगा।

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था 3 अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है 4

तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति 5 नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भूगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित 6 वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख-रखाव

किया जायेगा।

हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव 8 प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तू प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था स्निश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की

निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य 10 विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भूगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भूगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।

सङ्क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 मे निहित आदेशों का पालन भी लो०नि०वि० द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण / चौड़ीकरण कार्य करने हेत् वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

- 12 प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
- 13 वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
- 14 हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
- 15 वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
- 16 यदि नहर आदि निर्माण में भू—संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को खयं के व्यय से करायेगा।
- 17 उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 18 वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एज़ेन्सी को मान्य है।

कनिष्ठ अभियन्ता अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर म्० कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर मु० कीर्तिनगर। अधिशासी अभियन्ता)ऽ। अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर मु० कीर्तिनगर।